



राजस्थान रोजगार संहिता

पाक्षिक

(राजस्थान सरकार के रोजगार सेवा निदेशालय द्वारा प्रकाशित व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार संबंधी सूचनाओं का एकमात्र प्रकाशन)

वर्ष 45 अंक 3

Website: <http://employment.livelihoods.rajasthan.gov.in>

15 मार्च, 2022

फोन : 0141-2368398

मूल्य : 2.00

वार्षिक शुल्क 40 रु.

विस्तृत विज्ञापन

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018 दूरभाष नं. 0141-2722520

क्रमांक : प.14(104)RSSB/अर्थना/पशु.पा.वि./पशु.सहा./भर्ती/2022/270

दिनांक : 11.03.2022

विज्ञापन सं. 03/2022

पशुधन सहायक सीधी भर्ती - 2022

राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम, 1977 यथा संशोधित एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 के अन्तर्गत पशुपालन विभाग, राजस्थान के लिये पशुधन सहायक के कुल 1136 (गैर अनुसूचित क्षेत्र के 981 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 155) पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र (On Line Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं।

विशेष नोट :-

- (1) Online Application Form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञापित को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा इसमें दिये गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (2) आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अधीन परिवर्तनीय होगी।

1. आवेदन प्रक्रिया:- आवेदन Online Application Form में लिये जाएंगे जिन्हे राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भरा जा सकता है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अपना SSO ID बना ले एवं SSO ID एवं Password याद रखें। यदि आवेदक ई-मित्र कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से आवेदन भरता है तो ई-मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक सबसे पहले बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर recruitment पर Click करेगा। संबंधित भर्ती परीक्षा के सामने Apply Online पर Click करने पर Login Page खुलेगा जिसमें ई-मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक अभ्यर्थी के SSO ID एवं password से Login कर अभ्यर्थी का आवेदन भरेगा। जो अभ्यर्थी पहले से पंजीकृत नहीं है उसका पहले Not a Registered User Link पर Click कर www.sso.rajasthan.gov.in पर उसका पंजीयन करेंगे। पंजीयन के उपरांत उसका SSO ID एवं password प्राप्त कर Login करेंगे। ई-मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक आवेदक का आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के बाद Application preview Page खोल कर अभ्यर्थी को उसका भरा हुआ आवेदन दिखायेगा। अभ्यर्थी स्वयं अपने भरे हुए आवेदन की पुनः गहनता से जांच करेगा। यदि आवेदन में कोई त्रुटि रह जाती है तो ई-मित्र कियोस्क संचालक अभ्यर्थी के आवेदन में आवेदक से परामर्श कर त्रुटियों को दूर करेगा। त्रुटियों को सुधारने के बाद आवेदक को पुनः उसके आवेदन का Preview दिखाकर यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही हैं। सही-सही आवेदन भरने के बाद Submit पर Click करेगा। इसके बाद आवेदन में कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। सम्पूर्ण आवेदन भरने के बाद अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित परीक्षा शुल्क ई-मित्र कियोस्क पर जमा कराना होगा। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा ई-मित्र/जन सुविधा केन्द्र सेवा प्रदाता को नियमानुसार सेवा शुल्क के रूप में देना होगा। आवेदन भरने के बाद अभ्यर्थी ई-मित्र कियोस्क संचालक से भरे हुए आवेदन की हार्ड कॉपी मय रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें। आवेदन को Submit करने मात्र से आवेदन भरा हुआ नहीं माना जावेगा। आवेदन Submit करने के बाद फीस जमा होने पर ही ऑनलाइन आवेदन भरा हुआ माना जायेगा। आवेदन Submit करने एवं फीस जमा कराने के बाद भी यदि आवेदन पर Transaction Failed आ रहा है तो आवेदन भरा हुआ नहीं माना जावेगा। ऐसी स्थिति में ई-मित्र हेल्पलाइन नम्बर 0141-2221424 / 2221425 पर सम्पर्क करें। ऑनलाइन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाइन नम्बर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें। उपरोक्त प्रक्रिया से आवेदक स्वयं भी ऑनलाइन आवेदन भर सकता है।

अभ्यर्थी अपने SSO ID एवं password से Login करेंगे। इसके पश्चात् Dashboard पर Ongoing Recruitment पर संबंधित परीक्षा के Apply now link पर Click कर अपना आवेदन भरेगा। आवेदन पूर्ण रूप से भरने के बाद Next पर Click करने पर Application preview Page खुलेगा। अभ्यर्थी स्वयं अपने द्वारा भरे गये आवेदन की पुनः गहनता से जांच कर ले तथा यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो अभ्यर्थी Update पर Click करके अपने आवेदन में संशोधन कर त्रुटियों को सही कर सकता है। त्रुटियों को सुधारने के बाद आवेदक पुनः अपने आवेदन का Preview देख कर यह सुनिश्चित कर ले कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही हैं। अभ्यर्थी सही-सही आवेदन भरने के बाद Submit पर Click करें।

(क्रमशः)

आवेदक अपना आवेदन Submit करने के बाद OK पर Click करेंगे। इसके बाद आवेदन में कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। OK पर Click करने के बाद Pay Fees का Page खुलेगा। अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के अनुसार परीक्षा शुल्क नेट बैंकिंग/ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/ई-मित्र के माध्यम से जमा करवा सकता है। आवेदन भरने के बाद अभ्यर्थी आवेदन की हार्ड कॉपी मय रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें। आवेदन Submit करने एवं फीस जमा कराने के बाद भी यदि आवेदन पर Transaction Failed आ रहा है तो आवेदन भरा हुआ नहीं माना जावेगा। ऐसी स्थिति में ई-मित्र हेल्पलाइन नम्बर 0141-2221424 / 2221425 पर सम्पर्क करें। ऑनलाइन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाइन नम्बर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें। आवेदन की रसीद अभ्यर्थी को ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगी। हाथ से भरे आवेदन-पत्र किसी भी रूप से चयन बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

नोट:-

- आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियाँ सही-सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आगे की कार्यवाही की जायेगी। आवेदक आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें। एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें रहीं किसी भी प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
 - अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के उपरान्त रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त कर लें।
 - आवेदक यह ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन के उपरान्त उन्हें आवेदन-पत्र कर्मांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन-पत्र कर्मांक (एप्लीकेशन आई.डी.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन-पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदक आवेदन पत्र के preview को आवेदन submit न मानें।
 - कृपया ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति एवं अभ्यर्थियों के लिये आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देशों का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लें। इस विज्ञप्ति एवं उक्त दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखकर ही ऑनलाइन आवेदन भरें।
 - आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. दर्ज करें तथा इसे नहीं बदलें। महत्वपूर्ण सूचनाएं आवेदन में दर्ज मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. पर ही भेजी जाती हैं।
- 2. आवेदन एवं परीक्षा शुल्क:-** आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से चयन बोर्ड को भेजे।
- (क) सामान्य वर्ग व स्त्रीमलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु -रुपये 450/-
- (ख) राजस्थान के नॉन क्रीमलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक हेतु -रुपये 350/-
- (ग) समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु -रुपये 250/-
- (घ) कार्मिक विभाग के परिपत्र कर्मांक प.8(3) कार्मिक/क-2/18 दिनांक 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है, के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क रुपये 250/-देय है।(कृपया इस संबंध में नीचे अंकित नोट संख्या 3 भी अवश्य देखें।)

नोट:-

- राजस्थान राज्य से निम्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।
 - फीस एक बार जमा होने पर वापिस नहीं लौटाई जायेगी।
 - सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है तथा वे परीक्षा शुल्क रुपये 250/- ही जमा कराते हैं, ऐसे अभ्यर्थी अपने परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र पात्रता की जाँच एवं दस्तावेज के सत्यापन के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।
- 3. प्रवेश पत्र:-** बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन प्रवेश-पत्र जारी किये जाएंगे। बोर्ड द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। बोर्ड की वेबसाइट पर प्रवेश-पत्र जारी किये जाने की सूचना समाचार पत्रों एवं वेबसाइट के माध्यम से जारी की जाएगी। आवेदक अपना प्रवेश-पत्र वेबसाइट से प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र कर्मांक एवं जन सुविधा (C.S.C.) पर फीस जमा कराने का टोकन नम्बर ध्यान में रखें। उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश-पत्र सम्बन्धी सूचना आवेदक के ई-मेल आईडी (E-mail ID) एवं मोबाइल नम्बर पर भेजी जा सकती है।

4. पशुधन सहायक (Livestock Assistant) के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार है:-

(क) गैर अनुसूचित क्षेत्र
दण्डवत आरक्षण (Vertical Reservation)

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग				बारं जिले की सहारिया आदिम जाति			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिव्रता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिव्रता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिव्रता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिव्रता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिव्रता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिव्रता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिव्रता
981	245	70	28	07	106	30	12	03	80	23	09	02	140	40	16	03	33	10	4	—	67	19	8	1	18	6	1	—

नोट:-बारं जिले की सहारिया जाति हेतु 21 पद (15 पुरुष, 5 सामान्य महिला, 1 विधवा) बैकलॉग के शामिल हैं।

क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation)					
विशेष योग्यजन (D&HH)			(OL,Dw,Aav)		विभागीय कर्मचारी (पशुधन परिचर)
(LV)					भूतपूर्व सैनिक
37			37		120
			41		19

नोट:-दिव्यांगजन हेतु 77 पद (25 LV, 25 D&HH, 27 OL,Dw,Aav) बैकलॉग के शामिल हैं।

(ख) अनुसूचित क्षेत्र

दण्डवत आरक्षण (Vertical Reservation)

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिव्रता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिव्रता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिव्रता
155	56	16	06	01	05	02	—	—	49	14	05	01

क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation)					
विशेष योग्यजन (D&HH)			(OL,Dw,Aav)		विभागीय कर्मचारी (पशुधन परिचर)
(LV)					भूतपूर्व सैनिक
05			08		19
			15		03

नोट:-दिव्यांगजन हेतु 12 पद (3 LV, 3 D&HH, 6 OL,Dw,Aav) बैकलॉग के शामिल हैं।

नोट:-

- लम्बवत् रूप से आरक्षित पदों में क्षैतिज रूप से आरक्षित पद शामिल हैं।
- गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों को विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकेंगे। यदि अभ्यर्थी का चयन अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में होता है तो अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय अपना लिखित में विकल्प प्रस्तुत करना होगा कि वह अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में से किस क्षेत्र में अपना चयन चाहता है तथा किस क्षेत्र के अपने चयन को निरस्त करवाना चाहता है। विकल्प प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी का अंतिम चयन अनुसूचित क्षेत्र में माना जावेगा। (क्रमशः)

- अनुसूचित क्षेत्र के उच्च रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाईन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करें। अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में अंकन नहीं करने की स्थिति में उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिये विचार नहीं किया जायेगा।
- विभागीय कर्मचारी (पशुधन परिचर) के लिये आरक्षित 10 प्रतिशत पदों हेतु पशुपालन विभाग में पशुधन परिचर के पद पर स्थाई रूप से पदस्थापित कर्मचारी जिनको नियमित सेवा के 5 वर्ष का कार्य अनुभव हो एवं निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, वे ही आवेदन करें। ऑनलाईन आवेदन-पत्र में विभागीय कर्मचारी (DE) के कॉलम में अवश्य उल्लेख करें, अन्यथा विभागीय कर्मचारियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- विभाग के संशोधित आदेश क्रमांक एफ.12(61)/AH/2001-Part दिनांक 30.09.2013 के अनुसार विभाग में पशुधन सहायक के पद पर 07 वर्ष से अधिक समय से समेकित पारिश्रमिक (Fixed Pay) पर राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम-2013 के लागू होने की दिनांक तक निरंतर रूप से कार्य कर रहे संविदा कर्मिकों को 15 अंक का भारांक (Weightage) अतिरिक्त रूप से दिया जायेगा। यह लाभ उन्हें तभी दिया जायेगा जब उनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन में Departmental Contractual Employee (Fixed Pay) के कॉलम में टिक करेंगे।
- महिला, भूतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाड़ी, विभागीय कर्मचारियों एवं विशेष योग्यजन के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) होगा।
- विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढोत्तरी की जाती है तो इसके लिये अलग से कोई सूचना/शुद्धि पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

विशेष सूचना:-

- कर्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्पूर्वी तीन बर्ती वर्षों के लिए अग्रणीत किया जायेगा। तीन बर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी अग्रणीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी। यदि किसी बर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे बर्ती वर्ष को इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जाएगा।
परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथारिथति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिये ऐसी रिक्ति पश्चात्पूर्वी वर्षों में उपलब्ध हो।
- राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।
- महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) प्रवर्गानुसार (Categorywise) 30 प्रतिशत होगा। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक हैं, अनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा।
स्पष्टीकरण:- किसी वर्ग (आरक्षित पद(सामान्य वर्ग)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष आवेदक से भरा जाएगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पुति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- महिलाओं हेतु आरक्षित दशार्पण पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परित्यक्ता (विवाह विच्छिन्न महिला) महिलाओं के लिए आरक्षित है। यदि पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती हैं तो विधवा के लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की परित्यक्ता (विवाह-विच्छिन्न महिला) से भरा जायेगा। इसी प्रकार यदि पर्याप्त परित्यक्ता अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जायेगा। यदि विधवा एवं परित्यक्ता दोनों ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जायेगा। विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पुति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र एवं परित्यक्ता महिला (विवाह विच्छिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। परित्यक्ता महिला (विवाह विच्छिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का प्रमाण/न्यायालय आदेश इस बर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।
- अति पिछड़ा वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.2 (12)/विधि/2/2019 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के अति पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों (नॉन क्रीमीलेयर) को 05 प्रतिशत आरक्षण देय है।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7 (1)/कर्मिक/क-2/2019 दिनांक 19.02.2019 एवं 20.10.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देय है।
- कर्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 के अनुसार सामान्य श्रेणी के पदों के विरुद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिये देय किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है।
- राजस्थान राज्य से निम्न राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का माना जायेगा।
- बांरा जिले की सहरिया आदिम जाति के आवेदक को आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी के संबंधित कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करने पर ही उन्हें बांरा जिले में सहरिया जाति के लिये राज्य सरकार के निर्देश क्रमांक प.13(20) कर्मिक/क-2/91पार्ट दिनांक 16.01.2020 के अनुसार आरक्षण का लाभ देय होगा।
- भूतपूर्व सैनिकों हेतु:-** (क) भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा।
(ख) भूतपूर्व सैनिक :-
(1) प्रतिरक्षा (थल, जल, वायु सेना) सेवानिवृत्ति के समय आवेदक का चरित्र "अच्छा" से कम नहीं होना चाहिये जैसा कि उसकी सेवानिवृत्ति में दर्शाया गया हो।
(2) प्रतिरक्षा सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् किसी आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जो उसे नियोजन के लिये अर्हक बना दे।

भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5 प्रतिशत पद आरक्षित है। भूतपूर्व सैनिकों के पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) का उपलब्ध होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा। उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की उपलब्धता के कारण इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जा सकेगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिये कर्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(18) कर्मिक/क-2/84 पार्ट-II दिनांक 17.04.2018 एवं 22.12.2020 के अनुसार प्रावधान भी लागू होंगे। कर्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.5(18) डीओपी/ए-11/84 पार्ट IV दिनांक 01.08.2021 के अनुसार "भूतपूर्व सैनिक" के संदर्भ में व्यक्ति जो राज्य में बसे हुए है, से व्यक्ति जो राजस्थान का मूल निवासी है, अभिप्रेत है। उक्त अधिसूचना के अनुसार राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही भूतपूर्व सैनिक वर्ग का लाभ दिया जायेगा।

"कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर-भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से निराक्षेप प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराक्षेप प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को शिथिल कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के दो माह की किसी कालावधि के भीतर-भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा।"

"यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्जित करने के लिए एक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अर्हक उत्तीर्ण अंक/या कुल अंक, जहां कहीं भी निहित किये गये हों, तो पांच प्रतिशत या भूतपूर्व सैनिक की अनुपलब्धता की दशा में और पांच प्रतिशत अथवा सुसंगत सेवा नियमों में यथा विहित, जो भी उच्चतर हो, का शिथिलीकरण भूतपूर्व सैनिकों को दिया जायेगा।"; यदि किसी कारणवश भूतपूर्व सैनिक कार्यग्रहण नहीं करता है तो ऐसी स्थिति को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरा जायेगा और रिक्तियों की समान संख्या अगले बर्ती वर्ष में अग्रणीत की जायेगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियां व्यपगत (Lapse) हो जायेगी।

- उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतु:- उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.5(31)DOP/A-II/84 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2% देय होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा। आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा और ऐसी रिक्ति पश्चात्पूर्वी वर्षों के लिए अग्रणीत नहीं की जाएगी। उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में केवल वे ही अभ्यर्थी आवेदन करें जो कर्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.5(31)डीओपी/ए-11/84 दिनांक 21-11-2019 में नीचे वर्णित योग्यता रखता हो। इनसे निम्न योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी का उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिये आरक्षित पदों पर चयन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(क्रमशः)

उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्बन्धी प्रावधान :-कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5(31)डीओपी/ए-11/84 दिनांक 21-11-2019 के अनुसार "उत्कृष्ट खिलाड़ी" से ऐसे खिलाड़ी अभिप्रेत हैं जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं और जिन्होंने :-

1. उक्त सारणी के स्तंभ संख्यांक 2 में उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा आयोजित नीचे दी गयी अनुसूची के स्तंभ संख्यांक 3 में उल्लिखित खेलकूद के किसी अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट / चैंपियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो;

क्र.सं. 1	अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था 2	टूर्नामेंट / चैंपियनशिप का नाम 3
1	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आई.ओ.सी.)	ओलम्पिक गेम्स(ग्रीष्मकालीन)
2	एशिया ओलम्पिक परिषद (ओ.सी.ए.)	एशियन गेम्स
3	दक्षिण एशियन ओलम्पिक परिषद (एस.ए.ओ.सी.)	दक्षिण एशियन गेम्स; जो सामान्यतः सैफ गेम्स के रूप में जाने जाते हैं।
4	राष्ट्रमण्डल खेल परिषद (सी.जी.एफ.)	राष्ट्रमण्डल गेम्स
5	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति से संबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय खेल परिषद	विश्व कप / विश्व चैंपियनशिप
6	एशिया ओलम्पिक परिषद से संबद्ध एशियन खेल परिषद	एशियन चैंपियनशिप
7	अन्तरराष्ट्रीय स्कूल खेल परिषद (आई.एस.एस.एफ.)	अन्तरराष्ट्रीय स्कूल गेम्स / चैंपियनशिप
8	एशियन स्कूल खेल परिषद (ए.एस.एस.एफ.)	एशियन स्कूल गेम्स / चैंपियनशिप

2. स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो ;
3. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन(एन.एस.एफ.) द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट / चैंपियनशिपमें व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो ;
4. एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी के किसी खेलकूद में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;
5. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन/ पैरा ओलम्पिक कमेटी ऑफ इण्डिया या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद की नेशनल चैंपियनशिप/ पैरा नेशनल चैंपियनशिप या नेशनल गेम्स/ नेशनल पैरा गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो।"

नोट:- कृपया उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी वे ही अभ्यर्थी आवेदन करें जिनके पास उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 5 में वर्णित श्रेणियों के अनुसार खेल प्रमाण पत्र हो। यदि किसी आवेदक ने जान-बूझकर बिना योग्य खेल प्रमाण पत्र उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी अंकित की है, तो बोर्ड द्वारा ऐसे आवेदक के विरुद्ध कार्यवाही भी की जा सकती है। उत्कृष्ट खिलाड़ी को खेल प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।

12 दिव्यांगजन (निःशक्तजन) के लिये :-

राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार एवं उक्त नियमों के नियम 6 के उपनियम 2(ख) के अन्तर्गत गठित समिति की बैठक दिनांक 15.02.2022 में लिये गये निर्णय के क्रम में निम्न लिखित श्रेणी के विशेष योग्यजन को ही 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देय है:-

1. Low vision

1. One eyed with 6/9 vision with 4x magnification /telescope
 2. Each eye with 6/12 vision with 4x magnification /telescope
 3. Near vision N12/13 with eyes open
 4. Visual field upto 30 degree
 5. Colour vision deficiency may be allowed
2. Deaf and Hard hearing (without multiple disability)
 3. Only OL(with diasability between 40 to 80%)
 4. Dwarfism(without multiple disability including dyschondroplasia etc.)

5. Acid Attack victimism (Without multiple disability)

- a. दिव्यांगजन के लिये दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।
- b. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति, उपयुक्त बैचमार्क दिव्यांगजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अशेषित की जाएगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैचमार्क दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः दिव्यांगजन की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जाएगा। यदि उस वर्ष में भी कोई दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को दिव्यांगजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।
- c. दिव्यांगजन आवेदक Online application form में यथास्थान अपने वर्ग एवं दिव्यांगजन की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें।
- d. ऐसे आवेदक जो दिव्यांगजन की श्रेणी में आते हैं, अपनी दिव्यांगजन के सम्बन्ध में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार समुचित सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी के द्वारा प्रदत्त स्थाई दिव्यांगजन प्रमाण-पत्र (Permanent Disability Certificate) में दिव्यांगजन का स्पष्ट प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्तता व्यक्तियों के नियोजन नियम के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक विशेष योग्यजन होने पर ही अभ्यर्थी को दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा।
- e. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार (संशोधित) नियम-2021 दिनांक 14.10.2021 के नियम 6(8) में किए गए प्रावधान के अनुसार संबंधित सेवा नियमों में "यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्हित करने के लिए एक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अर्हक उत्तीर्ण अंक/या कुल अंक, जहां कहीं भी निहित किये गये हों, तो पांच प्रतिशत का शिथिलीकरण दिव्यांगजन को दिया जायेगा।";

5. अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

1. अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी हैं और जो स्वयं या, यदि उनका जन्म 1 जनवरी, 1970 के बाद हुआ है तो उनके माता-पिता/पूर्वज 1 जनवरी 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी रहे हैं। कार्मिक(क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार इनके अन्तर्गत आने वाले किसी व्यक्ति से विवाह द्वारा संबंधित है और वह अपने विवाह के बाद से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी है।
2. अनुसूचित क्षेत्र के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति आरक्षण की गणना राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.13(20) कार्मिक/क-2/91/पार्ट दिनांक 04.07.2016 के अनुसार की जायेगी।

(क्रमशः)

- अनुसूचित क्षेत्र के लिए कार्मिकों का चयन राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तों) नियम-2014 के अधीन होगा। जहाँ पर इन नियमों में स्पष्ट प्रावधान नहीं है, वहाँ पर संबंधित विभाग के नियमों के प्रावधान लागू होंगे।
- अनुसूचित क्षेत्र भारत के राष्ट्रपति, द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या एक. 19(2) 80-एल-1 दिनांक 12.02.1981 द्वारा घोषित क्षेत्र के कम में कार्मिक(क-2) विभाग ने अपने परिपत्र क्रमांक प.13(20) कार्मिक/क-2/91/पार्ट-3 दिनांक 01.06.2018 द्वारा भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना दिनांक 19.05.2018 (बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध) के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र को विखण्डित (Rescinds) करते हुए, अनुसूचित क्षेत्रों को पुनः परिनिश्चित (Redefined) किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अधिसूचना में शामिल अनुसूचित क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुये ही अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

नोट:- अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए वेतनमान, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता, आयु, पेंशन, विवाह पंजीयन, परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन भरने एवं आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, नियुक्ति की अयोग्यताएं, प्रमाण-पत्रों के सत्यापन, अनुचित साधनों की रोकथाम एवं परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं स्वीकृत संबंधी प्रावधान गैर-अनुसूचित क्षेत्र के समान यथावत लागू होंगे।

- वेतनमान:-** राज्य सरकार द्वारा देय सातवें वेतनमान के अनुसार पशुधन सहायक पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल 8 एवं वेतनमान 26300-85500/- निर्धारित किया गया है। परीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा।

7. पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता:-

- Senior Secondary with physics, Chemistry and Biology or Horticulture(Agriculture), Animal Husbandry and Biology from the Board of Secondary Education Rajasthan or its equivalent and One year/ Two years Training of Livestock Assistant from an institution recognised by the govt. of Rajasthan.
- Working knowledge of Hindi written in Devnagri Script and any one of the Rajasthani dialects.

जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा हो, जो इन नियमों में उल्लिखित पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए कनिष्ठ अभियंता पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा लेकिन वह/उसे उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा,-

- मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले, जहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के दो चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है,
- साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है।
- लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना है, जैसा भी मामला हो।

नोट:- पशुधन सहायक भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले है या सम्मिलित हो रहे है अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पशुधन सहायक भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी। अन्यथा पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना जायेगा।

अन्य योग्यताएं :-

- (1) स्वास्थ्य :- पशुधन सहायक के पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और वह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि पशुधन सहायक के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके और यदि वह चयनित कर लिया जाता है तो उसे इसके लिये अपना आरोग्यता प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या मेडीकल ज्यूरिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में सामान्यतः वह नियुक्त करता है।

- (2) चरित्र :- सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे कि वह पशुधन सहायक के पदों पर नियुक्ति के लिये योग्य हो सके। उसे सद्चरित्र का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहाँ उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो, के प्रधानाचार्य/शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त, प्रस्तुत करना होगा और दो ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदन-पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के न हों और अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा दिये हुये न हों।

8. राष्ट्रीयता :- सेवा में नियुक्ति के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह:-

- (क) भारत का नागरिक हो, या
- (ख) नेपाल का प्रजापति हो, या
- (ग) भूटान का प्रजापति हो, या
- (घ) लिच्छवी शरणार्थी जो दिनांक 1-1-62 से पहले स्थाई रूप से बसने के विचार से भारत आया हो, या
- (ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति है जो भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्व का टंगानिका और जंजीबार, जाम्बिया, मलावाई, जैर तथा इथोपिया) से भारत आया है।

नोट:- वर्ग (ख)(ग)(घ)(ङ) से सम्बन्धित प्रार्थियों को भारत सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

9. आयु:- आवेदक 1, जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, परन्तु राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एक.7/6/कार्मिक/क-11/2008 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार " जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिये भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई अभ्यर्थी उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जायेगा, किन्तु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जायेगी।"

स्पष्टीकरण:- विभाग द्वारा वर्ष 2018 में इन पदों को विज्ञापित किये जाकर उनके आयु सीमा की गणना 01.01.2019 को की गई थी। तत्पश्चात इन पदों का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। अतः उनके प्रावधानानुसार अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट देय होगी।

उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट निम्न प्रकार देय होगी:-

- आयु सीमा में छूट के प्रावधान :-
 - (क) सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
 - (ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के स्थायी निवासी हैं, के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
 - (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान की स्थायी निवासी हैं, के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।
- इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे, तो उन्हें आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे वे विभाग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे, तो उन्हें 2 अवसर दिये जायेंगे।
- कार्मिक विभाग की अधिसूचना एक.2(7)कार्मिक/क-2/88 दिनांक 08.07.2013 के अनुसार पशुधन सहायक के पद पर समेकित पारिश्रमिक पर कार्यरत संविदा कार्मिक आयु सीमा में ही माने जायेंगे, यदि वे समेकित पारिश्रमिक पर नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे, चाहे वह सीधी भर्ती के समय आयु सीमा पार कर चुके हों।
- एन.सी.सी. के कैंडेट प्रशिक्षकों के मामले में उपर्युक्त वर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जाएगी और यदि परिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जाएगा।
- राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में सेवारत कर्मचारी जो अधिष्ठायी (Substantive) हैसियत से कार्य कर रहे हैं की ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
- भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (Substantive) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
- उस भूतपूर्व कैदी के मामले में जो अपनी दोषसिद्धी के पूर्व अधिकारपत्र नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था, उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा भुक्त कारावास की कालावधि के बराबर की अवधि की छूट दी जायेगी।
- रिलीज्ड इमरजेन्सी कमीशन ऑफिसर/सोर्टेड सर्विस कमीशन सेवा में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए इस प्रकार पात्र थे, तो सेवा से रिहा होने के बाद विभाग के समक्ष उपस्थिति के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों, पात्र समझा जायेगा।
- आयोग के कार्य-क्षेत्र के भीतर न आने वाले पदों पर भर्ती के लिए उन व्यक्तियों की, जिनकी स्थिति के अभाव में या पद की शमाप्ति के कारण राज्य सरकार की सेवा से छटनी कर दी गयी थी, ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी बशर्त कि वे उन पदों पर, जिन पर से उनकी प्रथमतः छटनी की गयी थी, प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इन नियमों के अधीन विहित (क्रमशः)

रोजगार के अवसर (संक्षिप्त जानकारी)

सीजीपीएससी पद - असिस्टेंट प्रोफेसर पद संख्या - कुल 156 पद अंतिम तिथि - 25 मार्च, 2022 https://psc.cg.gov.in/	बीपीएससी पद - हेडमास्टर पद संख्या - कुल 6421 पद अंतिम तिथि - 28 मार्च, 2022 https://www.bpsc.bih.nic.in/	एनटीपीसी पद - एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पद संख्या - कुल 60 पद अंतिम तिथि - 21 मार्च, 2022 https://careers.ntpc.co.in/	बीएनपी पद - जूनियर टेक्निशियन व अन्य पद संख्या - कुल 81 पद अंतिम तिथि - 28 मार्च, 2022 https://bnpdewas.spmcil.com/
एनडब्ल्यूडीए पद - असिस्टेंट इंजीनियर पद संख्या - कुल 09 पद अंतिम तिथि - 4 अप्रैल, 2022 http://www.nwda.gov.in/	एनडीएमसी पद - अप्रेंटिस पद संख्या - कुल 171 पद अंतिम तिथि - 25 मार्च, 2022 https://nmcd.co.in/	एम्स पटना पद - प्रोफेसर व अन्य पद संख्या - कुल 11 पद अंतिम तिथि - 20 मार्च, 2022 http://aiimspatna.edu.in/	एनआईटीटीटीआर पद - रिसर्च असिस्टेंट आदि पद संख्या - कुल 06 पद अंतिम तिथि - 31 मार्च, 2022 http://www.nitrctd.ac.in/

(पृष्ठ 6 का शेष)

है। अतः भर्ती हेतु अर्हता की श्रेणी के संबंध में उसकी पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जाएगा।

1. जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि:- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जाति प्रमाण-पत्र दिशा-निर्देश दिनांक 09.09.2015 के अनुसार :-

- अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये जारी किये गये जाति प्रमाण पत्रों की अवधि जीवन पर्यंत होगी जबकि ओबीसी के लिये संबंधी प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जाएगा परन्तु किमीलेयर में नहीं होने संबंधी तथ्य को तीन वर्ष के विधि सम्मत शपथ-पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी।
- किमीलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा एक बार किमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी किमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाये ऐसा अधिकतम तीन वर्ष तक किया जा सकता है।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र दिनांक 21.06.2019 के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग में वर्णित जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही अति पिछड़ा वर्ग का लाभ देय होगा।

2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग से कमजोर वर्ग की विवाहित महिला का जाति/आय प्रमाण-पत्र नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर जारी प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा। पति के आय के आधार पर जारी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

3. राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के अर्हता के अर्थों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अर्थों को Online Application Form पर सामान्य आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।

4. अर्हता को पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन के समय शैक्षणिक योग्यता, आयु, वैवाहिक स्थिति, विधवा, परिवर्तकता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, विशेष योग्यता, मूल निवास, विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र, चरित्र एवं अन्य आवश्यक समस्त दस्तावेजों की प्रति विस्तृत आवेदन के साथ संलग्न करने होंगे। अर्हता को पात्रता की जांच के समय मूल दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे।

20. आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम:- आवेदकों को अपने ऑनलाईन आवेदन में समस्त सूचना सही-सही अंकित करनी चाहिए और परीक्षार्थियों को केन्द्राधीन/अभिजागर/बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना चाहिए, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने/परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध बोर्ड/केन्द्राधीन जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1992 के अन्तर्गत एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/disorderly conduct/using or attempting unfair means during the course of examination" तथा "The Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Selection Board Prevention of Unfair means in Board Examinations Regulations, 2016" के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। अर्हता के सूचनार्थ निर्धारित दण्ड एवं कारणों की विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर दी गई है।

21. पशुधन सहायक के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम :- पशुधन सहायक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम अलग से बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

22. बोर्ड की वेबसाइट:-अर्हता बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नम्बर 0141-2722520 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर दुर्गापुरा, जयपुर-302018 को सम्बोधित किया जायेगा।

डी.आई.पी.आर/सी/3658/2022 रा.रो.सं 09/2022

(हरि प्रसाद शर्मा)
अध्यक्ष

(पृष्ठ 7 का शेष)

वनपाल एवं वनरक्षक सीधी भर्ती - 2020 की पूर्व में जारी विज्ञप्ति संख्या 04/2020 दिनांक 11.11.2020 में भूतपूर्व सैनिक दिव्यांगजन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की आयु एवं फीस तथा प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में प्रावधान पूर्व विज्ञप्ति एवं संशोधित विज्ञप्ति के अनुसार होंगे। विज्ञप्ति दिनांक 11.11.2020 के शेष प्रावधान एवं शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

(हरि प्रसाद शर्मा)
अध्यक्ष

डी.आई.पी.आर/सी/3657/2022 रा.रो.सं 08/2022

घोषणा

फार्म-4 (नियम 8 देखिये)

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. प्रकाशन स्थान | - जयपुर |
| 2. प्रकाशन अवधि | - पाक्षिक |
| 3. मुद्रक का नाम | - हरी राम बडगुजर |
| बसा भारत का नागरिक है | - हाँ |
| यदि विदेशी है तो मूल देश | - नहीं |
| पता | - कार्यालय राजस्थान रोजगार संदेश
दरबार स्कूल परिसर,
गोपीनाथ मार्ग जयपुर (राज.) |
| 4. प्रकाशक का नाम | - हरी राम बडगुजर |
| बसा भारत का नागरिक है | - हाँ |
| यदि विदेशी है तो मूल देश | - नहीं |
| पता | - कार्यालय राजस्थान रोजगार संदेश
दरबार स्कूल परिसर,
गोपीनाथ मार्ग जयपुर (राज.) |
| 5. सम्पादक का नाम | - हरी राम बडगुजर |
| बसा भारत का नागरिक है | - हाँ |
| यदि विदेशी है तो मूल देश | - नहीं |
| पता | - कार्यालय राजस्थान रोजगार संदेश
दरबार स्कूल परिसर,
गोपीनाथ मार्ग जयपुर (राज.) |
| 6. उन व्यक्तियों के नाम व पते | - समस्त स्वामित्व |
| जो समस्त पुंजी के एक प्रतिशत | - राजस्थान सरकार |
| से अधिक के साझेदार व | - रोजगार सेवा निदेशालय |
| हिस्सेदार हैं। | - राजस्थान, जयपुर |

मैं हरी राम बडगुजर सहायक निदेशक (प्रकाशन) घोषणा करती हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

हरी राम बडगुजर
(प्रकाशक)

वार्षिक अभिदाताओं हेतु आवश्यक सूचना

राजस्थान रोजगार संदेश (पाक्षिक) के वार्षिक अभिदाता बनने हेतु अथवा वर्तमान में चल रहे अभिदाता जिनका वार्षिक शुल्क समाप्त होने जा रहा है वे रुपए 40/- की राशि का भारतीय पोस्टल ऑर्डर या डिमान्ड ड्राफ्ट सहायक निदेशक (प्रकाशन) राजस्थान रोजगार संदेश के पक्ष में भेजकर इस पाक्षिक पत्र के वार्षिक सदस्य बन सकते हैं। - संपादक

सूचना

राजस्थान रोजगार संदेश के प्रकाशित लेखों एवं प्रशिक्षण एक परिचय में प्रयुक्त विषय वस्तु लेखकों/संस्थानों की अपनी है। सम्पादक इन विषय वस्तु एवं इनसे उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद के लिए किसी भी तरह उत्तरदायी नहीं है। - सम्पादक

राजस्थान रोजगार संदेश

मुख्य सम्पादक
महेश शर्मा
निदेशक, रोजगार सेवा निदेशालय
जनस्थान, जयपुर
मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक
हरी राम बडगुजर
सहायक निदेशक (प्रकाशन) राजस्थान रोजगार संदेश, जयपुर,
डाक का पता : सहायक निदेशक प्रकाशन, दरबार स्कूल परिसर,
गोपीनाथ मार्ग, जयपुर, पिनकोड- 302001, फोन- 2368398
e-mail— adrs.jpr.emp@rajasthan.gov.in